मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०२६

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, २०२६

विषय – सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ४ का संशोधन.

४. धारा ९-क, ९-ख, ९-ग और ९-घ का अन्त:स्थापन.१

५. धारा ११-क का अन्त:स्थापन.

६. धारा १६ का संशोधन.

७. धारा ३०-क का अन्त:स्थापन.

८. धारा ३४ का संशोधन,

९. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०२६

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, २०२६

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०२६ है.

(२) यह "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३६ सन् १९८३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,-

(एक) खण्ड (४) में, पैरा के प्रारंभ में, शब्द "नियोजक" के पश्चात्, शब्द "या अधिष्ठाता" अन्त:स्थापित किया जाए;

(दो) खण्ड (१०) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(१०-क) "स्लेट पेन्सिल अभिदाय" से अभिप्रेत है, धारा ९-क के उपबंधों के अनुसार मण्डल को देय धनराशि;

(१०-ख) "स्लेट पेन्सिल कारखाना" से अभिप्रेत है, शैल पत्थर से स्लेट पेन्सिलों का विनिर्माण करने वाला कारखाना;

(१०-ग) "स्लेट पेन्सिल निधि" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ की धारा ३ के अधीन गठित और इस अधिनियम की धारा ३०-क के अधीन इस मण्डल को हस्तांतरित मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि;

(१०-घ) "स्लेट पेन्सिल कर्मकार" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी स्लेट पेन्सिल कारखाने में कोई कुशल, अर्द्धकुशल, शारीरिक, लिपिकीय, परिवेक्षिक या तकनीकी कार्य करने के लिए भाड़े या पारिश्रामिक पर नियोजित किया जाता है, किन्तु उसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है;-

(क) जो किसी प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत में है, या

(ख) पर्यवेक्षिक हैसियत में नियोजित होते हुए, प्रतिमास ऐसी राशि, जैसी कि सरकार द्वारा अवधारित एवं अधिसूचित की जाए, से अधिक मजदूरी लेता है या जो उसके पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रकृति के कारण या अपने में निहित शक्तियों के कारण ऐसे कृत्यों का पालन करता है, जो मुख्यत: प्रबंधकीय प्रकृति के हैं;".

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में,-

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "निधि", जहां कहीं वह आया हो, के स्थान पर, शब्द "निधि एवं स्लेट पेन्सिल निधि" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (३) के खण्ड (ख) के प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"इतनी संख्या में, जो कि विहित की जाए, नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा, जिसमें से एक-एक स्लेट पेन्सिल कारखाने से अधिष्ठाता और स्लेट पेन्सिल कर्मकार हो सकेगा.".

धारा ९-क, ९-ख, ९-ग और ९-घ का अन्त:स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:-

स्लेट पेन्सिल अभिदाय.

"९-क. (१) ऐसी तारीख से, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रत्येक अधिष्ठाता, मण्डल को ऐसी दर पर अभिदाय करेगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समय-समय पर नियत करे.

(२) उपधारा (१) के अधीन देय अभिदाय की राशि मण्डल को प्रत्येक कैलेण्डर मास के अंतिम दिवस से पूर्व संदत्त की जाएगी.

(३) प्रत्येक अधिष्ठाता, स्लेट पेन्सिल कारखाने से उसके द्वारा विनिर्मित की गई स्लेट पेन्सिल का परिवहन, इस आशय का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् करेगा, कि उपधारा (१) के अधीन देय अभिदाय मण्डल को संदत्त कर दिया गया है.

(४) उपधारा (२) के अधीन मण्डल को संदत्त अभिदाय की राशि स्लेट पेन्सिल निधि का भाग रूप होगी और इसमें इसके पश्चात् उपबंधित किए गए अनुसार उपयोजित की जाएगी.

असंदत्त अभिदाय या प्रीमियम पर ब्याज.

९-ख. (१) यदि अधिष्ठाता, किसी अभिदाय या प्रीमियम की शोध्य होने पर मण्डल को उसका संदाय नहीं करता है, तो मण्डल का कल्याण आयुक्त अधिष्ठाता पर एक सूचना की तमीली करवाएगा, जिसमें उस रकम को उस सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, जो सूचना की तमीली की तारीख से पंद्रह दिन से कम नहीं होगी, संदाय करने के लिए कहा जाएगा.

(२) यदि कोई अधिष्ठाता पर्याप्त कारण के बिना सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसे अभिदाय या प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो वह रकम बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूलनीय होगी.

अभिदाय या प्रीमियम के संदाय न किए जाने का परिणाम.

९-ग. धारा ९-ख के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि स्लेट पेन्सिलों के परेषण (कंसाइनमेंट) का स्लेट पेन्सिल कारखाना या उसकी किसी स्थापना से अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना परिवहन किया जाता है तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे,-

(क) अभिदाय का संग्रहण करने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति या निरीक्षक ऐसे परेषण को निरुद्ध कर सकेगा;

(ख) यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति या निरीक्षक परेषण को निरूद्ध किए जाने पर परेषण के मदों की एक सूची तैयार करेगा जो उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित की जाएगी और उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को देगा जो ऐसे मार्ग के निरूद्ध किए जाने के समय उसका भारसाधक हो और उसके साथ उसे विहित प्ररूप में इस आशय की एक सूचना देगा कि इस प्रकार निरूद्ध किया गया माल सूचना में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख तथा समय पर नीलाम द्वारा विक्रय किया जाएगा;

(ग) ऐसा व्यक्ति या निरीक्षक पूर्वोक्त सूची तथा सूचना की एक प्रति मण्डल के कल्याण आयुक्त को भी तत्काल भिजवाएगा;

(घ) यदि शोध्य रकम नीलामी के लिए नियत की गई तारीख के पूर्व संदत्त नहीं की जाती है तो कल्याण आयुक्त लोक नीलाम द्वारा परेषण का विक्रय करवाएगा और उसके विक्रय आगम शोध्य रकम तथा अन्य व्ययों का जो ऐसे निरुद्ध किए जाने तथा विक्रय के संबंध में उपगत हुए हों, संदाय करने के लिए उपयोजित किए जाएंगे;

(ङ) विक्रय आगमों के अधिशेष यदि कोई हों विनिर्दिष्ट रीति में, संबंधित अधिष्ठाता को संदत्त किए जाएंगे जिसकी अभिरक्षा से माल अभिग्रहण किया गया है.

बजट.

९-घ. (१) मण्डल प्रत्येक वर्ष, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय दर्शाते हुए एक बजट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी.

(२) स्लेट पेन्सिल निधि तथा श्रम कल्याण निधि के लिए बजट बोर्ड द्वारा पृथकत: तैयार तथा अनुमोदित किया जाएगा.''.

५. मूल अधिनियम की धारा ११ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:- धारा ११क का अन्त:स्थापन.

"११-क. (१) स्लेट पेन्सिल निधि इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, मण्डल में न्यासी के रूप में निहित होगी और मण्डल द्वारा न्यासी के रूप में धारित और उपयोजित की जाएगी। उसमें के धनों का उपयोग मण्डल द्वारा ऐसे क्रियाकलापों को, जो स्लेट पेन्सिल कर्मकारों और उसके आश्रितों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, कार्यान्वित करने के खर्च को चुकाने के लिए किया जाएगा. स्लेट पेन्सिल निधि का निहित होना और उसका उपयोजन.

(२) उपधारा (१) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मण्डल द्वारा निधि में के धनों का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों पर किए जाने वाले व्ययों को चुकाने में किया जा सकेगा-

(क) किसी ऐसे कर्मकार के, जिसकी मृत्यु सिलिकोसिस के कारण हो गई है या हो सकती है, कुटुम्ब के सदस्यों को सहायता अनुदान;

(ख) सिलिकोसिस ग्रस्त कर्मकार का चिकित्सीय उपचार;

(ग) कर्मकार तथा उसके आश्रितों की समुदायिक आवश्यकताएं;

(घ) कर्मकार के कुटुम्ब के सदस्यों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं;

(ङ) स्लेट पेन्सिल कारखाने के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा औषधालयों की स्थापना;

(च) स्लेट पेन्सिल कर्मकारों पर आश्रित स्त्रियों और बेरोजगार व्यक्तियों के लिए गृह उद्योग तथा सहायक उपजीविकाएं;

(छ) कर्मकारों के लिए खेल, खेलकूद, मनोरंजन तथा अन्य प्रकार के आमोद-प्रमोद;

(ज) कर्मकारों के लिए वाचनालय और पुस्तकालय;

(झ) कर्मकारों के संबंध में जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान;

(ञ) अधिनियम के प्रशासन का खर्च, जिसके अंतर्गत मण्डल के सदस्यों के भत्ते तथा मण्डल द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारिवृंद के वेतन तथा भत्ते आते हैं;

(ट) ऐसे अन्य उद्देश्य, जो मण्डल की राय में कर्मकार के जीवन स्तर में सुधार ला सकते हों.

परन्तु निधि का उपयोग ऐसे क्रियाकलाप के लिए वित्त व्यवस्था करने में नहीं किया जाएगा जिसे क्रियान्वित करने के लिए अधिष्ठाता तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन अपेक्षित है.

स्पष्टीकरण.- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए किसी स्लेट पेन्सिल कर्मकार की दशा में "परिवार के सदस्यों" से अभिप्रेत है, पति/पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पिता, माता, दादी, भाई, अविवाहित बहन, विधवा पुत्री, विधवा बहन, ताऊ/चाचा, चाचा की पत्नी, विधवा या भाई का पुत्र या अविवाहित पुत्री, जो उसके साथ संयुक्त रूप से रहते हैं या कोई अन्य रिश्तेदार जो उस पर आश्रित हैं.

(३) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार मण्डल को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह निधि का उपयोग किसी अधिष्ठाता को उस मद में उधार व अग्रिम देने के लिए करें, जहां ऐसा उधार या अग्रिम अधिष्ठाता को उस बाध्यता का निर्वहन करने हेतु हो, जो कि स्लेट पेन्सिल कर्मकारों तथा उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा तथा उसके स्वास्थ्य के लिए अधिष्ठाता पर, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या उसके द्वारा अधिरोपित की गई हो.

(४) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई विशिष्ट व्यय निधि में से विकलित किए जाने योग्य है या नहीं तो वह मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम तथा आबद्धकर होगा.

स्पष्टीकरण.- स्लेट पेन्सिल कर्मकार श्रम कल्याण निधि के अंतर्गत भी लाभ पाने के पात्र होंगे. श्रम कल्याण मण्डल विशिष्ट रूप से स्लेट पेन्सिल कर्मकारों के लिए लाभ, योजनाएं, उपबंध उपलब्ध करा सकेगा.".

धारा १६ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"(१-क) मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ के अधीन नियुक्त निरीक्षक का अर्थ, उक्त अधिनियम के निरसन पर इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक से लगाया जाएगा:

परन्तु मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल से अंतरित पद मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल के अधीन पदों से पृथक माने जाएंगे और मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल से मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल को अंतरित समस्त पद अधिसंख्य माने जाएंगे.".

धारा ३०-क का अंत:स्थापन.

७. मूल अधिनियम की धारा ३० के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:-

निधियों का निहित होना या दायित्वों का निर्वहन.

३०-क मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल का विधिक उत्तराधिकारी होगा. मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ के अधीन समस्त निधियां, योजनाएं, अभिदाय, पद, शक्तियां, आस्तियां (जिसमें सम्मिलित है भूमि, भवन, यान, फर्नीचर और अन्य चल और अचल आस्तियां), दायित्व, स्वीकृत पद, विद्यमान कर्मचारिवृंद, आय के स्रोत, व्यय प्रतिबन्धताएं और मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ के अधीन बोर्ड के अधिसूचित विनियम, इस अधिनियम के अधीन गठित मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल को अंतरित हो जाएंगे.".

८. मूल अधिनियम की धारा ३४ में, उपधारा (१) में, कोलन के स्थान पर,पूर्ण विराम स्थापित किया जाए और उसके विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाए.

धारा ३४ का संशोधन.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

९. (१) मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १३ सन् १९८३) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) इस अधिनियम का निरसन, इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन, उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या भुगती गई कोई बात पर प्रभाव नहीं डालेगा या इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत या उपगत किसी बाध्यता तथा दायित्व के संबंध में की गई विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा और ऐसी कोई विधिक कार्यवाही या उपचार जारी या प्रवृत्त रखे जा सकेंगे. तथापि, किसी न्यायालय में लंबित समस्त कार्यवाहियां ऐसे जारी रहेंगी, मानों यह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया हो.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल, मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्र. १३ सन् १९८३) के उपबंधों के अधीन गठित किया गया था. पिछले कुछ वर्षों में स्लेट पेन्सिल विनिर्माण कारखाने तथा उनमें कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या में बड़ी कमी आई है. वर्तमान में केवल ७०० हितग्राही मण्डल में पंजीकृत हैं और मण्डल का प्रशासकीय व्यय निरंतर बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में यह विनिश्चित किया गया है कि मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल और मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ निरसित किया जाए और उसके सुसंगत उपबंधों को अधिक वृहत मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३६ सन् १९८३) में अंत:स्थापित किया जाए, ऐसा करने में, स्लेट पेन्सिल कर्मकारों के लिए उपबंधित पूर्व के हितों को ध्यान में रखा गया है और उन्हें इस संशोधन विधेयक में सम्मिलित किया गया है, जिससे कि स्लेट पेन्सिल कर्मकारों को मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ और मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ के भी समस्त लाभ प्राप्त हों. इस संशोधन में, मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकारों के हितों को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा गया है और उन्हें उपलब्ध लाभों का और विस्तार भी किया गया है.

२. वर्तमान में मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल प्रभावी नहीं है. अतएव, इसे समाप्त करने का विनिश्चय किया गया है और भविष्य में इसकी समस्त कार्यवाहियां मध्यप्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा संपादित जाएंगी. इसके लिए, इस संशोधन विधेयक के माध्यम से, मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ निरसित किया जा रहा है और उसके प्रमुख उपबंध मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ में सम्मिलित किए जा रहे हैं.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

दिनांक : २४ फरवरी, २०२६.

प्रहलाद सिंह पटेल

भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है:-

१. खण्ड १ द्वारा अधिनियम को प्रवृत्त किये जाने की तिथि;

२. खण्ड-२ द्वारा पर्यवेक्षकों की प्रति माह मजदूरी/वेतन में समय-समय पर वृद्धि करने;

३. खण्ड ३ द्वारा श्रम कल्याण मण्डल में स्लेट पेंसिल क्षेत्र से सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करने;

४. खण्ड ४ द्वारा :-

(क) प्रत्येक अधिष्ठाता द्वारा मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल को भुगतान की जाने वाली अभिदाय की राशि एवं उसकी अवधि अधिसूचित करने;

(ख) बजट तैयार करने हेतु विहित रीति, पत्रक और अवधि का निर्धारण.

५. खण्ड ५ द्वारा स्लेट पेंसिल कर्मकारों के एवं उनके आश्रितों के कल्याण हेतु स्लेट पेंसिल निधि को उपयोजित करने के लिए प्रावधान करने के संबंध में नियम बनाए जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३६ सन् १९८३) से उद्धरण

* * * * *

२. **परिभाषाएं** :- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,-

(१) "मण्डल" से अभिप्रेत है, धारा ४ के अधीन गठित मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल;

(२) "अभिदाय" से अभिप्रेत है, धारा ९ के उपबंधों के अनुसार मण्डल को देय धनराशि;

(३) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थापना में कोई कुशल, अर्द्ध-कुशल या अकुशल, शारीरिक, लिपिकीय, पर्यवेक्षिक या तकनीकी काम करने के लिए भाड़े या पारिश्रमिक पर नियोजित किया जाता है;

किन्तु उसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है-

(क) जो मुख्यत: किसी प्रबन्धकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित है, या

(ख) जो, पर्यवेक्षिक हैसियत में नियोजित होते हुए, दस हजार रूपये प्रतिमास से अधिक मजदूरी लेता है या जो, उसके पद से संलग्न कर्त्तव्यों की प्रकृति के कारण, या अपने निहित शक्तियों के कारण, ऐसे कृत्यों का पालन करता है. जो मुख्यत: प्रबन्धकीय प्रकृति के हैं,

(४) "नियोजक" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो सीधे या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, या तो स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से एक या अधिक कर्मचारियों को किसी स्थापन में नियोजित करता है और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं :-

(एक) किसी कारखाने के संबंध में कोई ऐसा व्यक्ति जो कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं ६३) की धारा ७ की उपधारा (१) के खण्ड (च) के अधीन नामित है.

(दो) किसी ऐसे स्थापन के संबंध में, जो राज्य सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाया जाता है. कोई ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी जिसे कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, या जहाँ कोई व्यक्ति या प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया गया हो, वहां विभागाध्यक्ष,

(तीन) किसी अन्य दशा में, वह व्यक्ति या प्राधिकारी, जो स्थापन के कार्यकलापों पर अंतिम नियंत्रण रखता है और जहां उक्त कार्यकलाप किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह प्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो, सौंपे जाते हैं, वहां ऐसा व्यक्ति.

(५) "स्थापन" से अभिप्रेत है -

(एक) कोई कारखाना; या

(दो) कोई कारबार या व्यापार या उससे सम्बद्ध या उससे आनुषंगिक कोई काम करने वाला कोई स्थापन जो ऐसी संख्या से, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, अधिक संख्या में व्यक्तियों को नियोजित करता है या जिसने पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान किसी कार्य-दिवस को उक्त संख्या से अधिक संख्या में व्यक्ति नियोजित किए हों;

किन्तु उसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं :-

(क) राज्य सरकार का कोई स्थापन (जो कारखाना न हो); और

(ख) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके प्राधिकार के अधीन चलाया जाने वाला कोई ऐसा स्थापन जिसके लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का सं. १४) की धारा २ के खण्ड (क) के अधीन औद्योगिक विवादों के प्रयोजनों के लिए, समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार हो;

(६) "कारखाना" से अभिप्रेत है, कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं, ६३) की धारा २ के खण्ड (ड) में यथा-परिभाषित कारखाना;

(७) "निधि" से धारा ३ के अधीन गठित मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अभिप्रेत है.

(८) "स्वतंत्र सदस्य" से अभिप्रेत है -

(एक) मण्डल का कोई ऐसा सदस्य जो किसी स्थापन के प्रबंध (मैनेजमेंट) से सम्बद्ध न हो या जो कर्मचारी न हो, और

(दो) राज्य सरकार का कोई अधिकारी जिसे सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया गया होय

(९) "औद्योगिक न्यायालय" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९६० (क्रमांक २७ सन् १९६०) की धारा ९ के अधीन गठित न्यायालयय

(१०) "निरीक्षक" से अभिप्रेत है, धारा १६ के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षकय

(११) "असंदत्त संचित राशियों" से अभिप्रेत है, ऐसे समस्त संदाय जो किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी को शोध्य हों किन्तु -

जो उस तारीख से जिसको वे, चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात, शोध्य हो गए हों, तीन वर्ष के भीतर उसे न चुकाए गए हों और उसके अन्तर्गत है वैध रूप से देय मजदूरी, मकान किराया भत्ता (हाउस रेंट एलाउन्स) और उपदान किन्तु अभिदाय की रकम, यदि कोई हो, जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, १९५२ (१९५२ का सं. १९) के अधीन स्थापित भविष्य निधि में नियोजक द्वारा देय हो उसके अन्तर्गत नहीं है,

(१२) "मजदूरी" से अभिप्रेत है, मजदूरी संदाय अधिनियम, १९३६ (१९३६ का सं, ४) की धारा २ के खण्ड (छह) में यथापरिभाषित मजदूरीय

(१३) "कल्याण आयुक्त" से अभिप्रेत है, धारा १५ के अधीन नियुक्त कल्याण आयुक्त,

* * * * *

४. **मण्डल का गठन और सदस्यों को देय भत्ते.-** (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सम्पूर्ण राज्य के लिये मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल का गठन इस प्रयोजनों से करेगी कि वह निधि का प्रशासन करें, और ऐसे अन्य कार्यों का सम्पादन करें जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मण्डल को सौंपे जाए.

(२) मण्डल उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने की शक्ति होगी और जो उक्त नाम से वाद चला सकेगा और जिसके विरुद्ध उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा.

(३) मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) अध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(ख) इतनी संख्या में, जो विहित की जाए, नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाऐंगे;

परन्तु नियोजकों और कर्मचारियों दोनों को मण्डल में समान प्रतिनिधित्व मिलेगा;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले उतने स्वतंत्र सदस्य जितने विहित किये जाए; और

(घ) मण्डल का सचिव.

(४) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, अध्यक्ष की ओर उपधारा (३) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन नाम-निर्देशित सदस्यों की पदावधि, उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की होगी.

(५) मण्डल के सदस्य ऐसे भत्ते, यदि कोई हो, पाने के हकदार होंगे जो विहित किये जाए.

* * * * *

९. **अभिदाय.** (१) किसी स्थापन में के किसी कर्मचारी के संबंध में इस अधिनियम के अधीन देय अभिदाय, नियोजक द्वारा देय अभिदाय (जो इसमें इसके पश्चात् "नियोजक का अभिदाय" के नाम से निर्दिष्ट हैं), कर्मचारी द्वारा देय अभिदाय (जो इसमें इसके पश्चात् "कर्मचारी का अभिदाय" के नाम से निर्दिष्ट है) और राज्य सरकार द्वारा देय अभिदाय से मिलकर बनेगा, और वह मण्डल को संदत्त किया जाएगा और निधि का भाग रूप होगा.

(२) यदि किसी कर्मचारी का नाम किसी स्थापन के रजिस्टर में किसी कैलेण्डर वर्ष में (अर्थात् जनवरी से दिसम्बर तक) तीस कार्य दिवसों को दर्ज रहता है, तो ऐसे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रत्येक छह मास में (अर्थात् ३० जून तथा ३१ दिसम्बर को) देय अभिदाय की रकम केवल (दस रुपये) होगी और प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के लिए नियोजक द्वारा प्रत्येक छह मास में देय अभिदाय की रकम (पचास रुपये) होंगी:

"परन्तु प्रत्येक छह मास में नियोजक के अभिदाय की रकम दो हजार पांच सौ रुपये से कम नहीं होगी";-

"(३) प्रत्येक नियोजक उपधारा (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए नियोजक का अभिदाय और कर्मचारियों का अभिदाय ऐसे दोनों का ही संदाय, मण्डल को प्रत्येक वर्ष १५ जुलाई और १५ जनवरी के पूर्व करेगा":-

"परन्तु १५ जुलाई और १५ जनवरी को समाप्त होने वाले छह मास के पूर्व मण्डल को दो या अधिक कालावधि के अभिदाय का अग्रिम भुगतान करने पर, नियोजक, को पाँच प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तथा उक्त छह मास की कालवधि समाप्त होने के पश्चात् भुगतान करने पर उतने प्रतिशत जुर्माना, जो कि दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, अधिरोपित किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित किया जाए".

(४) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियोजक को यह हक होगा कि वह कर्मचारी से कर्मचारी का अभिदाय उसकी मजदूरी में से काट कर वसूल करें किन्तु उसे उसकी वसूली किसी अन्य रीति से करने का हक नहीं होगा; और ऐसी कटौती मजदूरी संदाय अधिनियम, १९३६ (१९३६ का सं. ४) द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत कटौती समझी जाएगी:

परन्तु कोई भी ऐसी कटौती, अभिदाय की उस रकम से अधिक नहीं की जाएगी जो ऐसे कर्मचारी द्वारा देय हो, और न ही वह जून और दिसम्बर मास की मजदूरी से भिन्न किसी मजूदरी में से की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि यदि अनवधानता के कारण या किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, जो अभिलिखित की जाएगी, किसी कर्मचारी की पूर्वोक्त मासों की मजदूरी में से कोई कटौती नहीं की गई हो तो ऐसी कटौती निरीक्षक को लिखित संसूचना देने के पश्चात् ऐसे कर्मचारी की किसी पश्चातवर्ती मास या मासों की मजदूरी में से की जा सकेगी.

(५) किसी तत्प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, कोई नियोजक, नियोजक के अभिदाय की कटौती किसी कर्मचारी को देय किसी मजदूरी में से नहीं करेगा या उसे कर्मचारी से अन्यथा वसूल नहीं करेगा.

(६) किसी कर्मचारी की मजदूरी में से किसी नियोजक द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक् रुप से काटी गई किसी राशि के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह राशि उस अभिदाय का जिसके संबंध में वह काटी गई थी, संदाय करने के प्रयोजनार्थ कर्मचारी द्वारा नियोजक को न्यस्त कर दी गई है.

(७) नियोजक, नियोजक और कर्मचारी के अभिदायों का संदाय मण्डल को चौक, बैंक ड्राफ्ट या मनीआर्डर द्वारा या नकद में या ऑनलाईन जमा करेगा और ऐसे अभिदाय मण्डल को भेजने के व्यय वह स्वयं वहन करेगा.

(८) कल्याण आयुक्त, प्रतिवर्ष जुलाई और जनवरी मास की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विहित प्ररुप में एक विवरण राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसमें नियोजक के स्थापन के संबंध में नियोजक के अभिदाय की कुल रकम दर्शाई जाएंगी. कल्याण आयुक्त से ऐसा विवरण प्राप्त होने पर, राज्य सरकार उस स्थापन के संबंध में नियोजक के अभिदाय के बराबर की रकम के अभिदाय का संदाय मण्डल को करेगी.

(९) उपर्युक्त उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा, कर्मचारी तथा नियोजक द्वारा देय अभिदाय की दर को पुनरीक्षित कर सकेगी."

* * * * *

११. निधि का निहित होना और उसका उपयोजन.-(१) निधि, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मण्डल में न्यासी के रुप में निहित होगी और मण्डल द्वारा न्यासी के रुप में धारित और उपयोजित की जाएगी, उसमें के धनों का उपयोग मण्डल द्वारा ऐसे क्रियाकलापों को, जो श्रमिकों और उनके आश्रितों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएं, कार्यान्वित करने के खर्च को चुकाने में किया जाएंगा:

(२) उपधारा (१) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मण्डल द्वारा निधि में के धनों का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों पर किये जाने वाले व्ययों को चुकाने में किया जा सकेगा :-

(क) सामुदायिक तथा सामाजिक शिक्षा केन्द्र जिनके अन्तर्गत वाचनालय और पुस्तकालय भी हैं;

(ख) सामुदायिक आवश्यकताएं;

(ग) बालकों, स्त्रियों तथा प्रौढों के लिये शैक्षणिक सुविधाएं,

(घ) खेल तथा खेल-कूद;

(ङ) भ्रमण, पर्यटन और अवकाश गृह (हालिडे होम्स);

(च) मनोरंजन और अन्य प्रकार के आमोद-प्रमोद;

(छ) स्त्रियों और बेरोजगार व्यक्तियों के लिये गृह उद्योग और सहायक उपजीविकाएं

(ज) सामाजिक स्वरुप के सामुदायिक क्रियाकलाप;

(झ) अधिनियम के प्रशासन का खर्च, जिसके अन्तर्गत मण्डल के सदस्यों के भत्ते तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द के वेतन भत्ते आते हैं; और

(ञ) ऐसे अन्य उद्देश्य जो मण्डल की राय में श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार ला सकते हों और उनकी सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हों:

परन्तु निधि का उपयोग किसी ऐसे क्रियाकलाप के लिये वित्त व्यवस्था करने में नहीं किया जाएगा जिसे क्रियान्वित करने के लिये नियोजक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपेक्षित है:

परन्तु यह और भी कि मजदूरी संदाय अधिनियम, १९३६ (१९३६ का सं. ४) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, असंदत्त संचित राशियां और जुर्माने मण्डल को संदत्त किये जाएंगे और उसके द्वारा उनका व्यय इस अधिनियम के अधीन किया जाएगा.

(३) मण्डल, राज्य सरकार के अनुमोदन से श्रमिकों के कल्याण के किसी क्रियाकलाप में सहायता देने के लिये किसी नियोजक को किसी स्थानीय प्राधिकरण को या किसी अन्य निकाय को निधि में से अनुदान दे सकेगा.

(४) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई विशिष्ट व्यय निधि में से विकलित किये जाने योग्य है अथवा नहीं, तो वह मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा दिया गया विनिश्चय अन्तिम होगा.

(५) मण्डल के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी स्थापन की श्रम कल्याण निधि से वित्तपोषित किसी क्रियाकलाप को चालू रखे यदि उक्त निधि धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन मण्डल को सम्यक्रूपेण अन्तरित कर दी गई हो.

* * * * *

१६. निरीक्षकों की नियुक्ति.-(१) राज्य सरकार, निधि देय राशियों को अभिनिश्चित और सत्यापित करने हेतु अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन १९५८) की धारा ४० की उपधारा (२) के अधीन नियुक्त किये गये निरीक्षकों को भी उन स्थापनों के संबंध में जिनको यह अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निरीक्षक समझा जाऐगा.

(२) कोई निरीक्षक, -

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जो वह ठीक समझे, किसी परिसर में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा,

(ख) ऐसी "अन्य शक्तियों का प्रयोग" कर सकेगा जो विहित की जाएं.

३०. कतिपय संपत्तियों का निहित होना.– राज्य सरकार, आदेश द्वारा अपनी जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति को, जो विभागीय श्रम कल्याण केन्द्रों को चलाने में उपयोजित की जा रही हो, मण्डल को अन्तरित कर सकेगी.

३४. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.– (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उदभूत होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों:

परन्तु कोई ऐसा, आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के पटल पर रखा जाऐगा.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.